


की विरुद्ध 01 के कोठी निका का लक्षण बना। 2018 के कोविड काल के शुरू होने के पानी लेने व बाधा पैदा न करने सिद्धि जारी है जो राजस्व व्यापक के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मामला दिल्ली न्यायालय में है जो दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
 दिनांक 07.07.2020 को जारी किया गया।

पत्रावली का संश्लेषण किया। जबकि पहिले एक प्रत्युत से चुका है। एक का निर्दिष्ट पक्षधर द्वारा प्रत्युत परमाणु का धर्म व गुणावली के आधार पर धर्म है। 2018 में दिनांक 3.12.15 को कोविड काल के संदर्भ में निर्दिष्ट निषेधाज्ञा है पाठ्य विषय में अधिकार में प्रत्युत के कक्षा काद व डूबता नहीं है।
 दिनांक कोविड काल व कोविड काल के तात्कालिक निर्दिष्ट निषेधाज्ञा है पाठ्य विषय में जारी है। निर्दिष्ट निषेधाज्ञा दिनांक 3.12.15 को जारी की जाती है। पत्रावली के लिए प्रत्युत लेना नहीं है कि से तथा वह प्रत्युत कार्यवाही जहां दाखिल प्रत्युत है। निर्दिष्ट दिनांक 5.6.18 को प्रत्युत निर्दिष्ट प्रत्युत गण।


 उपखण्ड अधिकारी
 बनारस